एसआरटी न देने पर निजी बसों की अब नहीं हो सकेगी पासिंग

निजी बस ऑपरेटरों को एसआरटी जमा कराने के लिए नोटिस जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में विशेष पथकर (एसआरटी) जमा न कराने वाले निजी ऑपरेटरों की बसों की पासिंग नहीं होगी। एसआरटी जमा होने की रसीद दिखाने के बाद ही इन बसों की पासिंग की जा सकेगी। परिवहन विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं।

हिमाचल में कई निजी ऑपरेटरों को इस बारे नोटिस भी जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग का लाखों रुपये एसआरटी के रूप में फंसा है। वर्ष 2021 से पहले जिन वाहन मालिकों ने एसआरटी जमा नहीं कराया है, उन्हें आबकारी विभाग में यह टैक्स जमा कराना होगा। आबकारी विभाग की ओर से ऑपरेटरों को एनओसी जारी होगा। वहीं, इसके बाद ऑपरेटर परिवहन विभाग में ही एसआरटी जमा करा सकते हैं। हिमाचल में 3 हजार के करीब निजी बसें चलती हैं।

कई ऑपरेटर ऐसे हैं जो निर्धारित समय में अपना टैक्स जमा नहीं कराते हैं। इस बार विभाग ने सख्ती दिखाई है। अगर समय पर एसआरटी जमा नहीं कराया तो पेनल्टी भी लगेगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऑपरेटरों को समय पर एसआरटी जमा कराने की बात कही है। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने एसआरटी माफ करने की मांग की है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक. 9 जून 2025
पेज न0–03, कालम–2,3

बिना फिटनेस सर्टिफिकेट व बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा

पांवटा साहिब में यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई, ई-रिक्शा विकास समिति पांवटा में 167 से अधिक ई-रिक्शा संचालित

संवाद न्यूज एजेंसी

पांवटा साहिब (सिरमौर)। रिक्शा के लिए इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट दस्तावेज होना जरूरी है लेकिन पांवटा साहिब में दर्जनों ई-रिक्शा इन दस्तावेजों के बिना सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इससे यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है।

अब परिवहन विभाग ने ऐसे ई रिक्शा वालों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस के ई-रिक्शा चलाना अवैध ही है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में गुरु की नगरी पांवटा साहिब में इको फ्रेंडली माने जाने वाले ई-रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है। पांवटा में पैडल रिक्शा व ऑटो अधिक चलते रहे हैं।

खास खबर

अब ई-रिक्शा का संचालन बढ़ने लगा है। तीन वर्ष पहले अचानक ई-रिक्शा की सड़कों पर भारी संख्या हो गई थी। बाहरी राज्यों के लोग कई रिक्शा यहां पर संचालित कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय ई-रिक्शा संचालकों ने ई-रिक्शा विकास समिति पांवटा साहिब का गठन किया।

फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चल रहे 14 ई-रिक्शा किए थे जब्त

अवैध रूप से बाहरी राज्यों के ई-रिक्शा बंद कर दिए गए। इसके बाद वर्तमान समय में 167 से अधिक ई-रिक्शा पांवटा की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ई-रिक्शा के लिए हर राज्य की अलग-अलग नीति व कानून है। हिमाचल में ई-रिक्शा संचालक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस (बीमा) जरूरी है।

18 माह बाद करते हैं आवेदन

महेंद्रा कंपनी ई-रिक्शा में दो वर्ष व यात्री कंपनी के ई-रिक्शा 18 माह बाद आवेदन करते हैं। ई-रिक्शा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने को संचालक, परिवहन विभाग या आरटीओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। **-आबिद अली, उपप्रधान, ई-रिक्शा समिति**

दो वर्षों के उपरांत सर्टिफिकेट लेना होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट ई-रिक्शा को सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है और सुरक्षा मानकों को पूरा करती है। विगत मंगलवार को आरटीओ सिरमौर ने बिना फिटनेस परीक्षण सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस के दौड़ रहे 14 ई-रिक्शा को जब्त किया।

आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने कहा कि ई-रिक्शा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस जरूरी है। इन शर्तों को पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ई-रिक्शा विकास समिति पांवटा साहिब के अध्यक्ष परमजीत सिंह व महासचिव धनीराम ने बताया कि शीघ्र ही एक जागरूकता बैठक आयोजित होगी जिसमें ई-रिक्शा संचालकों को फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस जरूरी करवाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

यदि आपका ई-रिक्शा फिटनेस परीक्षण में पास हो जाता है, तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होगा। निर्धारित समय पर फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करवाना जरूरी है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक. 11 जून 2025

पेज न0–04, कालम–1,2,3,4,5,6

वीआईपी नंबर लेने का क्रेज, 25-25 लाख रुपये खर्च रहे शौकीन

शिमला। प्रदेश में गाड़ियों के वीआईपी नंबर लेने का क्रेज बढ़ रहा है। विभाग ने करीब ढाई साल में ऐसे नंबरों से 37 करोड़ रुपये की कमाई की है। 25-25 लाख रुपये में गाड़ी के नंबर बिक रहे हैं।

हिमाचल के विधायक, कारोबारी और उद्योगपति वीआईपी नंबर लेने में रुचि दिखा रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से साइट पर तीसरे-चौथे महीने में वीआईपी नंबरों की लिस्ट अपलोड की जाती है। धड़ाधड़ इन नंबरों की आनलाइन बुकिंग हो रही है। परिवहन विभाग का मानना है कि 15 लोगों ने 25-25 लाख रुपये में वीआईपी नंबर लिए हैं। इसके साथ ही 9 से 10 लाख रुपये जमा करवाकर नंबर लेने वालों की संख्या भी 50 से ज्यादा है।

37 करोड़ रुपये कमाए परिवहन विभाग ने

00001 और 999 नंबर के लिए 25 लाख रुपये तक की बोली लगी है। सीरीज ई-ऑक्शन में ही सरकार करोड़ों कमा रही है। इससे पहले सिफारिश पर ही ये नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार की ओर से ओपन बोली के जरिए ही वीआईपी नंबर दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक. 13 जून 2025

पेज न0–05, कालम–2,3,4

मंडी में आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड की टीम ने गाड़ियों का निरीक्षण कर काटे चालान

100 वाहनों से वसूले पौने तीन लाख

हिमाचल दस्तक ▮ पंडोह

आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड की टीम ने वीरवार रात को मंडी से पंडोह के बीच नाकेबंदी के दौरान 100 से ज्यादा वॉल्वो, टूरिस्ट बसों और पेसेंजर व्हीकल के चालान काटकर 2 लाख 72 हजार का जुर्माने की वसूली की। आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड की टीम ने पहले विंद्रावणी के पास रात को नाका लगाया और उसके बाद पंडोह के पास भी नाका लगाकर बसों को रोका गया और उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल की गई। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित इंतजामों का भी जायजा लिया। ट्रैफिक इंचार्ज हेमंत शर्मा ने बताया कि रात भर वॉल्वो, टूरिस्ट बसों और पेसेंजर व्हीकल को जांच के लिए रोका गया।

जांच में पाया गया कि कुछ के पास परमिट नहीं थे, किसी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा रखी थी, कुछ ने प्रेशर हॉर्न लगा रखे थे तो कुछ ने मोडिफाइड लाइट्स लगा रखी थी। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने न तो टैक्स भरा हुआ था और न ही उनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मौजूद थे। हेमंत शर्मा ने बताया कि ऐसे सभी लगभग 100 वाहनों के चालान काटकर उनसे मौके पर ही जुर्माना वूसल किया गया है। जिन्होंने मौके पर चालान का जुर्माना अदा नहीं किया है, उन्हें कार्यालय में आकर इसकी भरपाई करनी होगी। उन्होंने बताया कि नियमों की अवहेलना किसी भी लिहाज में बर्दाशत नहीं की जाएगी। विभाग की टीमें समय-समय पर इस तरह की चैकिंग के लिए नाकेबंदी करती रहती है और टूरिस्ट सीजन के दौरान पर्यटकों की सुरक्षित यात्रा के लिए ऐसी जांच को को बढ़ा दिया गया है।

> गाड़ियों के चालान किए गए हैं। नियमों की उल्लंघना के चलते ये चालान हुए हैं और जुर्माना वसूला गया है।
>
> **- हेमंत शर्मा, ट्रैफिक इंचार्ज।**

कूड़ा फैलाने पर 5 हजार रुपये तक के जुर्माने का नोटिस लगाएं : भास्कर

जोगिंद्रनगर। व्यापार मंडल प्रधान जोगिंद्रनगर भास्कर गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, होम.स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट बीएंडबी, ढाबा मालिकों को आदेश दिए हैं कि वो व्यापारिक संस्थान में कूड़ा फैलाने पर 5 हजार रुपये तक के जुर्माने से जुड़ा नोटिस लगाएं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के मुताबिक ये नोटिस लगाना सभी के लिए अनिवार्य है। कोर्ट ने उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को आदेश दिए कि वो रिसेप्शन क्षेत्र में नोटिस/पोस्ट चिपकाएं, जिसमें यह सूचित किया गया हो किं अनुचित तरीके से कचरा निपटान और कूड़ा फैलाने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि रिसेप्शन/काउंटर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएं। जोगिंद्रनगर व्यापार मंडल के अधीन आने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट ढाबा मालिकों से आग्रह किया है कि वे कोर्ट कें आदेशों का पालन करें।

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 14 जून 2025

पेज न0—07, कालम—2,3,4

दूसरे राज्यों की वोल्वो बसों के संचालन से केंद्र को फायदा, हिमाचल को नुकसान

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय में टैक्स जमा कराने के बाद हिमाचल पहुंच रहे ऑपरेटर

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल में दूसरे राज्यों की वोल्वो बसों के संचालन से केंद्र को फायदा जबकि हिमाचल को घाटा हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इन बसों का संचालन रोकना मुश्किल है।

केंद्र सरकार की नीति के अनुसार यह ऑपरेटर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का तीन लाख रुपये टैक्स जमा कराकर देश में कहीं भी पर्यटकों व सवारियों को ले जा सकते हैं। प्रदेश सरकार सिर्फ इन ऑपरेटरों से एसआरटी ले सकती है। सरकार वोल्वो बसों का संचालन रोकने का यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाने जा रही है।

प्रदेश सरकार ने सभी आरटीओ को अवैध वोल्वो संचालन को

संचालन रोकने के लिए केंद्र पर बनाया जाएगा दबाव

रोकने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन स्थल कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू व अन्य धार्मिक स्थलों को सवारियां ले जाने के लिए दर्जनों वोल्वो बसें सुबह ही खड़ी हो जाती हैं। इन बसों का किराया परिवहन निगम की वोल्वो बसों से कम है। ऐसे में लोग भी इनमें सफर करने के लिए आगे आते हैं। यहीं नहीं, वोल्वो बसों के मालिक सवारियों के चाय, पानी का खर्चा भी खुद उठाते हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल में प्रति वोल्वो से परिवहन निगम को 15 हजार रुपये का चूना लग रहा है। इन बसों से हर महीने यह रकम लाखों में होती है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल में दूसरे राज्यों से कई बसें हिमाचल आती हैं। केंद्र सरकार की नीति के तहत 3 लाख रुपये जमा कराने के बाद यह ऑपरेटर कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे में इनका संचालन रोकना मुश्किल हो रहा है। सरकार इन ऑपरेटरों से सिर्फ एसआरटी ले सकती है। हिमाचल सरकार इस मामले को केंद्र से उठाएगी।

अमर उजाला, दिनांक. 15 जून 2025

पेज न0–05, कालम–2,3,4

मोड़ पर गड्ढा होने से बस खाई में गिरी; एक की मौत, 18 घायल

सरकाघाट के पनयारटू में हादसा, ढाई घंटे तक बस में फंसा रहा चालक

सरकाघाट के पटड़ीघाट इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुई निजी बस। स्रोत : जागरुक पाठक

पटड़ीघाट/सरकाघाट (मंडी)। जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल के पटड़ीघाट क्षेत्र में निजी बस के खाई में गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। हादसे के समय बस में 19 यात्री सवार थे। हादसा ढलवान-पटड़ीघाट-कलखर संपर्क मार्ग पर पनयारटू में मंगलवार सुबह 7:50 बजे पेश आया। निजी बस कुठेड़ा से मंडी रूट पर जा रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मोड़ पर गड्ढा होने से बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई।

बस पलटे खाने के बाद करीब 200 मीटर दूर पेड़ से अटक गई। इसमें बस चालक और एक अन्य व्यक्ति बस के नीचे फंस गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिलासपुर जिले की तहसील घुमारवीं के गांव कोट निवासी राजगीर चंद (55) पुत्र ब्रह्म लाल के रूप में हुई है। चालक भी बस के अंदर करीब ढाई घंटे तक फंसा रहा। दो क्रेन की मदद से उसे

हादसे के बाद तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। एक व्यक्ति की मौत हुई है। 18 लोग घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। **-संजीव गौतम, डीएसपी सरकाघाट**

बाहर निकाला। बस को डाकघर खुडला निवासी चिरंजी लाल (45) चला रहा था। बस के खाई में गिरते ही चीख-पुकार मच गई। इससे स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

सूचना पर डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम और हटली थाना के थाना बृज लाल शर्मा टीम सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला। घायलों को निजी गाड़ियों और 108 एंबुलेंस की मदद से नागरिक अस्पताल रिवालसर और मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले जाया गया। संवाद

अमर उजाला, दिनांक. 18 जून 2025

पेज न0–02, कालम–5,6

निजी स्कूलों की मनमानी : वाहनों में क्षमता से अधिक भरे जा रहे बच्चे

चंद पैसों के लिए खतरे में डाली जा रही बच्चों की जिंदगी

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ हमीरपुर

गृह जिला हमीरपुर मे निजी स्कूलों की मनमानी बच्चों की जिंदगी पर कभी भी भारी पड़ सकती है। मुनाफे के चक्कर मे कुछ निजी स्कूल बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आलम यह हैं कि हमीरपुर शहर व आसपास के क्षेत्रों मे संचालित कुछ निजी स्कूल बच्चों को स्कूल बसों व टेक्सियों में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस-ठूंस कर सफर करवा रहे हैं। 8से 10 सवारियों की क्षमता वाले वाहनों में 15 से 16 बच्चे बैठाये जा रहे हैं। कुछ स्कूल बिजन् में भी क्षमता से कई अधिक बच्चों को डालकर स्कूल पहुंचाया जा रहा हैं।

▮ वाहनों मे चालक के साथ नहीं है परिचालक

कुछ एक स्कूल तो ऐसे हैं जिनके पास अपनी स्कूल बसें न होने के चलते टैक्सियों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि शहर मे क्षमता से अधिक सवारियां या बच्चों को ढोने वाले वाहनों के ट्रैफिक पुलिस चालान भी कर रही हैं लेकिन चालान बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता है। दीगर यह है कि जिला में कई ऐसे निजी स्कूल हैं जिनके वाहनों में अक्सर क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाते देखा जा सकता है। नियमानुसार किसी भी स्कूल बस या वाहन मे सीट की क्षमता से ज्यादा बच्चों को भरना दंडनीय हैं, वहीं स्कूल वाहनों व बसों में चालक के साथ बच्चों को चढ़ाने व उतारने के लिए परिचलक का होना जरूरी है लेकिन जिला मे शायद ही ऐसी स्कूल बसें होंगी जिनमें चालक और परिचलक एक साथ सेवाएं दे रहे हो।

> पुलिस जिला में ऐसे मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ही कार्रवाई कर सकती है और कर भी रही है। वाहन चालकों को समय-समय पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रति जागरूक भी किया जाता है। निजी स्कूलों के मामले में जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग को भी संज्ञान लेने की जरूरत है।
>
> **-राजेश कुमार, एएसपी, हमीरपुर।**

> स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को लाना व ले जाना गलत है। इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और निजी स्कूलों कों बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के सख्ती से निर्देश दिए जाएंगे। बच्चों के जीवन व भविष्य से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
>
> **-अमरजीत सिंह, उपायुक्त, हमीरपुर।**

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 18 जून 2025

पेज न0—06, कालम—5,6,7

बिना परमिट के चल रही जेएनएनयूआरएम बसों की सूची दें, सेवा होगी बंद : सिंघल

परिवहन निदेशक की अध्यक्षता में हुई एचआरटीसी और ऑपरेटरों की बैठक

शिमला। जेएनएनयूआरएम की बसों के बिना रूट परमिट और बिना समयसारिणी के चलाए जाने के आरोपों के बीच बुधवार को परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी की अध्यक्षता में परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटर संघ की बैठक हुई। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

हिमाचल निजी बस आपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने बैठक में कहा कि एचआरटीसी की जेएनयूआरएम की बसें बिना रूट परमिट से इंटर स्टेट रूट पर दौड़ रही हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक पंकज सिंघल ने कहा कि अगर ऐसा है तो निजी बस ऑपरेटर उन बसों की लिस्ट बनाकर के एचआरटीसी को दे। उन बसों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। बैठक में चंबा में आरटीओ की ओर से एक निजी बस के एक-एक लाख के पांच चालान करने का मुद्दा भी उठा। परिवहन निदेशक ने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें चंबा के आरटीओ को भी तलब किया जाएगा।

एचआरटीसी की ओर से सरेंडर रूट परमिट भी चर्चा हुई। परिवहन निदेशक ने कहा कि जो रूट ने सरेंडर किए हैं, वह लिस्ट उन्हें दी गई है। सत्यता जानने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। जो रूट सरेंडर किए गए हैं, उन्हें सरेंडर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। हर तीन माह में बैठक आयोजित करने का आग्रह भी किया गया। ब्यूरो

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 19 जून 2025
पेज न0—04, कालम—5,6

ड्रॉ ऑफ लॉट्स से मिलेंगे नए बस रूट

शकील कुरैशी—शिमला

- 18 सीटर बसों के लिए 350 रूट देगा परिवहन विभाग
- बड़ी संख्या में पहुंचने लगे आवेदन, होगी छंटनी

हिमाचल प्रदेश में युवाओं को 18 सीटर बसों के लिए रूट देने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। प्रदेश भर में युवाओं से इनके लिए आवेदन मांगे गए हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में आवेदन पहुंच भी गए हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्ज के विरोध के बावजूद परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को चला रखा है और 30 जून इसके लिए आखिरी तारीख रखी है। इस दिन तक जो भी आवेदन आएंगे, उनकी छंटनी होगी और फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए इन रूटों को आबंटित करने का काम होगा। इसमें किसी तरह की सिफारिश काम नहीं आएगी, क्योंकि जिनके भी आवेदन होंगे, उनके सामने ही ड्रॉ निकाले जाएंगे। यह काम आरटीओ स्तर पर होगा, जिसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारी अगले महीने हरेक जिला में आरटीए यानि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठकें रखेंगे। हरेक जिला में खुद परिवहन विभाग के निदेशक और परिवहन सचिव इन बैठकों में मौजूद रहेंगे, जो आवेदकों की छंटनी का काम कर रूट आबंटन को ड्रॉ के बाद आबंटित करने का काम करेंगे। इसके साथ निजी बस आपरेटर्ज ने इसका विरोध भी शुरू किया और यूनियन ने परिवहन निदेशक के सामने ऐतराज जताया। उनका ऐतराज इन रूटों को लेकर था, जिनका कहना था कि कई ऐसे सरेंडर रूट इसमें डाले गए हैं, जो कभी भी एचआरटीसी को आबंटित ही नहीं किए गए थे। लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने 18 सीटर मिनी व मिडी बसों को चलाने की सोची थी। इसमें कुछ रूटों पर 24 सीटर बसें भी चलाई जा सकती हैं। कुल 350 रूट आबंटित किए जाने हैं, जिसके साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों को रोजगार हासिल होगा।

> “350 रूट नए सिरे से चिन्हित किए गए हैं, जहां पर छोटी बसें चल सकती हैं। वहां यात्रियों को अभी सुविधा नहीं मिल पा रही है। काफी संख्या में आरटीओ के स्तर पर आवेदन आ चुके हैं और 30 तारीख के बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए लोगों को रूट आबंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी
>
> **डीसी नेगी; निदेशक, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश**

दिव्य हिमाचल, दिनांक. 22 जून 2025
पेज न0—07, कालम—3,4,5,6

तैयारी

अधिकारियों की बैठक में लिया गया फैसला, घायलों को 1.50 लाख तक का निशुल्क उपचार मिलेगा

2030 तक सड़क दुर्घटना मृत्युदर 50% घटाने का लक्ष्य

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 2030 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु और चोटों को 50 फीसदी कम करने का लक्ष्य रखा है। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग की सोमवार को आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का 1.50 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार होगा।

हिमाचल में हुए हादसे में घायल किसी भी राज्य के व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। यहीं नहीं घायलों को एक घंटे (ऑवर) के भीतर अस्पताल में पहुंचाया जाएगा।

ट्रॉमा केयर सेंटरों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर

आपातकालीन स्थितियों के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं और एंबुलेंस नेटवर्क की

मैपिंग पर जोर दिया गया। बैठक में सड़क सुरक्षा पहलों के समन्वय और निगरानी के लिए जिला-स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का भी आह्वान किया गया। बैठक में सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय समिति के निर्देशों को लागू करने पर बल दिया गया। इसके तहत हिमाचल में ट्रॉमा केयर सेंटरों की स्थापना, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को मजबूत करना और सुविधाओं को बढ़ाया जाना शामिल है।

हिमाचल के ड्रामा सेंटर को और मजबूत किया जाएगा।

परिवहन सड़क सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त एसडी नेगी ने यह जानकारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इसमें मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक सहित राज्य नोडल अधिकारी और रोड सेफ्टी के अधिकारी भी शामिल रहे। नेगी ने कहा कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के बाद अधिकतम 7 दिनों के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार के लिए दुर्घटना पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त प्रदान किया जाएगा।

बैठक में निर्देश देते परिवहन सड़क सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त नेगी। स्रोत : विभाग

अमर उजाला, दिनांक. 24 जून 2025
पेज न0—08, कालम—1,2,3,4,5

कमर्शियल वाहनों के परमिट की अवधि 12 वर्ष से अधिक हो

हिमाचल दस्तक ▌ शिमला

हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल वाहनों के परमिट की अवधि 12 वर्ष से अधिक बढ़ाने की मांग उठ रही है। ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वॉइंट कमिटी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को परिवहन निदेशक डीसी नेगी से मिला। इस दौरान कमिटी के सदस्यों ने परिवहन निदेशक के समक्ष अपनी महत्वपूर्ण मांगों को रखा। ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वॉइंट कमिटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल वाहनों परमिट की अवधि को 12 वर्ष से अधिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एचपी -01 नंबर की गाड़ियों का राष्ट्रीय परमिट है, जिसकी अवधि सिर्फ 12 वर्ष तक है। उन्होंने कहा कि एक गाड़ी को फ्री करने में ही 10 वर्ष से अधिक वक्त लग जाता है। ऐसे में राज्य सरकार को 12 वर्ष की अवधि के बाद एचपी- 01 परमिट के वाहनों को 3 वर्ष लिए राज्य परमिट देना चाहिए।

▌परिवहन निदेशक से मिल टैक्सी ऑपरेटर ने उठाई मांग

इससे सरकार को करोड़ों रुपये टैक्स प्राप्त होगा और टैक्सी संचालकों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में राजधानी शिमला में प्रीपेड बूथ स्थापित करने के लिए स्थान चिह्नित किए गए थे। लेकिन अभी तक प्रीपेड बूथ स्थापित नहीं किए गए है। उन्होंने कहा कि परिवहन निदेशक की ओर 11 स्थानों पर जल्द प्रीपेड बूथ स्थापित करने का आश्वासन मिला है। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि ई-सेवा की तर्ज पर शिमला शहर में प्रीपेड बूथ स्थापित किए जाने चाहिएं ताकि पारदर्शिता से काम हो सके। उन्होंने कहा कि परिवहन निदेशक की ओर से मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो ऑपरेटरों को मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदेलन करना पड़ेगा।

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 24 जून 2025
पेज न0—04, कालम—2,3,4

सड़क दुर्घटना के घायलों को मिलेगी डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा : उपायुक्त

नीलम राय ▮ हमीरपुर

▮ दुर्घटना के 7 दिन के भीतर उठा सकते हैं योजना का लाभ

उपायुक्त एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों का तुरंत उपचार सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से एक विशेष व्यवस्था की है। हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी इस योजना को लागू कर रहा है।

उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने का प्रावधान किया है। ऐसे लोगों का अब आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में डेढ लाख रुपये तक कैशलेस इलाज हो सकता है। सड़क दुर्घटना में घायल होने पर सात दिन के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि अगर उनके सामने कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो वे तुरंत इसके शिकार लोगों की मदद के लिए आगे आएं तथा उन्हें अस्पताल तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद अगर घायलों की तुरंत मदद की जाए तो कई लोगों की बहुमूल्य जानें बच सकती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं के बाद गोल्डन ऑवर' के दौरान यानि एक घंटे के भीतर घायलों को प्राथमिक उपचार की तत्काल आवश्यकता होती है। इसलिए, किसी भी सड़क दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी को घायलों की मदद के लिए तुरंत आगे आना चाहिए।

घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा गुड सेमेरिटन अवॉर्ड

उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना के घायलों की तत्काल मदद करने वाले तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले प्रत्यक्षदर्शियों से पुलिस भी कोई अनावश्यक पूछताछ नहीं करती है। ऐसे मददगार लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुड सेमेरिटन अवॉर्ड' भी आरंभ किया है। इसलिए, प्रत्यक्षदर्शी को घायलों की मदद के लिए बेझिझक आगे आना चाहिए।

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 25 जून 2025
पेज न0–6, कालम–5,6,7

घायलों को तीसरी बार अस्पताल पहुंचाने पर एक लाख रुपये का इनाम

प्रदेश में सड़क हादसों में मृत्यु दर कम करने के लिए पहल, नेक व्यक्ति स्कीम का नाम बदलकर रखा अब राहवीर

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। सड़क हादसों में घायलों को तत्काल इलाज मिले और हादसों में मृत्यु दर कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। अब घायल को अस्पताल में पहुंचाने पर 25 हजार रुपये मिलेंगे। पहले 5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती थी।

योजना के तहत तीसरी बार घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर एक लाख रुपये सहित प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह राशि केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी के तहत यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इस नेक व्यक्ति स्कीम का नाम बदलकर अब राह वीर रख दिया है। हिमाचल में हादसों से हो रही मृत्यु दर को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी ने हिमाचल में 2030 तक 50 फीसदी मृत्युदर कम करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है। ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी अतिरिक्त आयुक्त एसडी नेगी ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल में अगर किसी भी सड़क पर हादसा होता है तो ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी के तहत इसकी आनलाइन जानकारी तुरंत पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग को मिलेगी।

पुलिस की टीम मौके पर जाकर हादसे का कारण जानेगी, जबकि लोक निर्माण विभाग की ओर से प्वाइंट को ठीक कराया जाएगा। अस्पताल में घायल का कैशलेस योजना के तहत सात दिन तक निशुल्क उपचार होगा। इसमें डेढ़ लाख रुपये तक की राशि ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी के तहत खर्च की जाएगी। राज्यभर में इस योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव नोडल अधिकारी होंगे। जिलों में उपायुक्त, संबंधित अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे।

प्रदेश में हर रोज सड़क हादसों में 7-8 लोग हो रहे घायल

नक्सल प्रभावित इन इलाकों के लिए विपन्नता का जो अक्स दूर बैठकर जेहन में उभरता है, तस्वीर उससे अलग है। हर हाथ में मोबाइल, बहुतायत में दोपहिया वाहन और घरों में टीवी सामान्य बात है। सामान्य से रेस्त्रां के मीनू कार्ड में अगर आपको वर्जिन मोजैटो, किवी डिलाइट और लैमन सरप्राइज जैसी डिश दिख जाएं तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। लोगों की स्थानीय बोली हावी जरूर है, मगर मानसिकता किसी भी आम कस्बाई नागरिक से भिन्न नहीं।

अमर उजाला, दिनांक. 25 जून 2025
पेज न0–10, कालम–1,2,3,4,5

15 गाड़ियों के चालान कर 2 लाख रुपये जुर्माना वसूला

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ बीबीएन

■ बीबीएन में आरटीओ नालागढ़ ने की कार्रवाई
■ नियमों की उल्लंघना पर 4 वाहन किए जब्त

आरटीओ नालागढ़ की ओर से औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में यातायात नियमों को धत्ता बताने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरटीओ की टीम ने खामियां पाए जाने की सूरत में वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूला है। बीबीएन में आरटीओ नालागढ़ ने बुधवार को भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की। दूसरे दिन चलाए गए इस विशेष अभियान में 80 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान नियम तोड़ने पर 15 वाहनों के चालान काटे गए और कुल 2 लाख का जुर्माना वसूला गया। वहीं 4 वाहन मौके पर ही जब्त किए गए। परिवहन विभाग का कहना है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने और दस्तावेज पूर्ण न करने वाले वाहनों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जानकारी के अनुसार आरटीओ नालागढ़ विपिन गुप्ता की अगुआई वाली टीम ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के अलग-अलग हिस्सों में जाकर वाहनों पर कार्रवाई की और

> बीबीएन क्षेत्र में नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वाहन मालिकों से अपील है कि वे फिटनेस, परमिट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसे जरूरी दस्तावेज पूरे रखें अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
>
> \- विपिन गुप्ता, आरटीओ, नालागढ़।

अनियमितताएं पाए जाने पर वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काटे। इस दौरान आरटीओ की टीम ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी, वहीं दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया। जब्त किए गए वाहनों में 2 टेंपो ट्रैवलर, 1 वैन और एक अन्य पैसेंजर वाहन शामिल हैं। ये वाहन या तो ओवरलोडिंग कर रहे थे या फिर यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे थे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक. 27 जून 2025
पेज न0–11, कालम–6,7

कुफरी में 28 वाहनों के चालान, 1.24 लाख रुपये जुर्माना

शिमला। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (आरटीओ मुख्यालय) के उड़न दस्ते ने वीरवार को कुफरी में नाका लगाया। नाके के दौरान नियमों की अवहेलना करने पर 28 वाहनों के चालान किए। इसमें वाहन चालकों को 1.24 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।

इसमें से करीब 26 हजार जुर्माने का मौके पर चालकों ने भुगतान कर दिया। नौ वाहनों से 98 हजार रुपये जुर्माना बाद में वसूला जाएगा। आरटीओ मुख्यालय के उड़न दस्ते के यातायात निरीक्षक तपेश शर्मा, राजकुमार और दीवान चंद की टीम ने दोपहर एक बजे के करीब कुफरी में नाका लगाकर कार्रवाई की।

इस दौरान बिना परमिट, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स का भुगतान किए बिना चल रही टैक्सी, मैक्सी टैंपो ट्रेवलर पकड़ी गईं। आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक. 27 जून 2025
पेज न0–5, कालम–6

राजधानी में बिना फिटनेस नहीं चलेगी कोई भी बस: अनिल शर्मा

बस हादसे के बाद हरकत में आया परिवहन विभाग

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

राजधानी में शुक्रवार को हुए बस हादसे के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। शनिवार सुबह आरटीओ शिमला की अगुआई में टोलैंड में नाका लगाया गया। इस दौरान शहर के लोकल रूटों पर चलने वाली बसों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान प्रदूषण, बीमा, फिटनेस समेत सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान 70 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 30 बसों के चालान काटे गए। बसों की चेकिंग के दौरान अधिकतर बसों में दस्तावेज पूरे पाए गए, लेकिन बिना वर्दी के चालक, परिचालक बसों में सेवाएं दे रहे थे। एक बस में तो यात्रियों को टिकट भी नहीं दिए जा रहे थे। नाकाबंदी के दौरान अधिकतर बसों के वर्दी के चालान काटे गए। यात्रियों को टिकट न देने के कारण एक बस का चालान काटा गया। इस दौरान चालकों-परिचालकों को नियमों के अनुसार सेवाएं देने की हिदायत दी गई। आरटीओ शिमला ने कहा कि निजी बसों में टिकट देना अनिवार्य होगा। बिना वर्दी के चालक, परिचालक बसों में सेवाएं नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा शहर में बिना फिटनेस कोई भी बस नहीं चलेगी। आरटीओ अनिल शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को लिफ्ट के समीप हॉलिडे होम के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में तकनीकी खराबी और चालक की लापरवाही मुख्य कारण माने जा रहे है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बिलकुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आरटीओ ने बताया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे नाके लगाकर चेकिंग की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी चालकों व परिचालकों को वर्दी में रहना और यात्रियों को टिकट देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यात्री टोल फ्री नंबरों पर शिकायतें कर सकते हैं।

▮ आरटीओ शिमला ने टोलैंड में लगाया नाका

▮ 70 बसों की हुई चेकिंग, 30 के काटे चालान

स्कूल टैक्सियों पर भी कसी जाएगी नकेल

आरटीओ शिमला ने बताया कि बसों के अलावा शहर के निजी स्कूलों को चलने वाली टैक्सियों पर भी नकेल कसी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में बसों के अलावा स्कूल टैक्सियों और अन्य वाहनों की चेकिंग भी सुनिश्चित की जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका बच्चा किस गाड़ी में सफर कर रहा है, वह वाहन फिट है या नहीं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में शहर की विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर स्कूल टैक्सियों और अन्य वाहनों की भी चेकिंग की जाएगी।

अमर उजाला, दिनांक. 30 जून 2025

पेज न0—5, कालम—2,3,4